

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/10/24	पत्रावली पेश हुई। RO. सा. अन्य राजस्व को भेजा है। अतः पूर्व आदेशागुणार दिनांक 6/11/24 को पेश हो।	
	6.11.24	पत्रावली पेश हुई। नमुनाएँ परिष्कृत उपस्थित। पुनरीक्षण की पावना से पत्रावली दिनांक 8/11/24 को पेश हो।	
	8.11.24	पत्रावली पेश हुई। नमुनाएँ परिष्कृत उप०। पुनरीक्षण की पावना से पत्रावली दिनांक 22/11/24 को पेश हो।	उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर
	22.11.24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिगण एवं उनके अधिकारिता अनुपस्थित। प्रार्थिगण को न्यायालय में आज प्रथम-प्रथम समय पर तीन-तीन बार आवाजे लगावाती गयी। बावजूद आवाज लगवाने को उपरांत भी प्रार्थिगण को न्यायालय में हजर नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत सार्वजनिक-9 नियम-3 के तहत अदम हजरी व अदम पेशकी में खारिज की जाती है। पत्रावली जैसल शुमार होना नकर से नम होना दायित्व फर्द हो।	उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर